

कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली।

पत्र संख्या :- बीआर -पीआरओ-मी0से0-01(गुडबर्क)/2021

दिनांक मार्च -04- 2021

सेवा में

अपर पुलिस महानिदेशक
बरेली जोन, बरेली।

कृपया आप अपने पत्र संख्या: बीजैड-मीडिया सेल-4(1)/2020 दिनांकित 05.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु जनपद इकाई द्वारा किये जाने वाले क्रिया-कलापों एवं उपलब्धियों का विवरण उपलब्ध कराने जाने बिषयक है।

उक्त सम्बन्ध में माह फरवरी की सूचना परिक्षेत्रीय कार्यालय बरेली से सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि

पुलिस महानिरीक्षक,
बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

जनपद बरेली में पुलिस अधि०/कर्म०गण द्वारा किये गये गुडवर्क सम्बन्धी सूचना ।

1. थाना किला #bareillypolice द्वारा अबैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक अभियुक्त खूबकरन को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 निर्मित तमंचे, 03 अर्द्ध निर्मित तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

प्रेस नोट- दिनांक 02.01.2021
थाना किला जनपद बरेली

थाना किला #bareillypolice द्वारा अबैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक अभियुक्त खूबकरन को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 05 निर्मित तमंचे, 03 अर्द्ध निर्मित तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में अबैध शस्त्रों की तरफ़ारी व रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय/सहायक पुलिस अधीक्षक श्री साद मिर्जा (IPS), प्रभारी निरीक्षक थाना किला राजकुमार दिवारी के नेतृत्व में दिनांक 01.02.2021 को उ०नि० सनी मय कोर्स को सैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा क्षेत्र के संजय ट्रांसपोर्ट के खण्डहर से अभियुक्त खूबकरन गंगवार को अबैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 05 निर्मित देशी तमंचे, 03 अर्द्ध निर्मित तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना किला पर मु०अ०स०-35/2021 धारा 8/25 आर्म्स अधिनियम बनाम खूबकरन गंगवार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त खूबकरन गंगवार ने पूछताछ पर बताया कि इस समय प्रयागी के चुनाव के कारण देशी तमंचे की मांग बढ़ गई है इसलिए मैं यहाँ छुपाकर तमंचे बना रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. खूबकरन गंगवार पुत्र राममूर्तिलाल गंगवार पि० जालिम गंगला थाना भोजीपुरा जनपद बरेली
बरामदगी का विवरण- (05 देशी तमंचा , 03 अर्द्ध निर्मित देशी तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण)

1- 05 निर्मित तमंचे देशी - (03 तमंचे देशी 12 बोर व 02 तमंचे देशी 315 बोर)
2- 03 अर्द्ध निर्मित तमंचे देशी
3- शस्त्र बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजकुमार दिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना किला जनपद बरेली।
2. उ०नि० श्री सनी थाना किला जनपद बरेली।
3. उ०नि० श्री विकास यादव थाना किला जनपद बरेली।
4. उ०नि० श्री अजय कुमार शुकला थाना किला जनपद बरेली।
5. उ०नि० श्री अजय सिंह थाना किला जनपद बरेली।
6. का० 3012 रोहित कुमार थाना किला जनपद बरेली।
7. का० 3013 पपन कुमार थाना किला जनपद बरेली।
8. का० 3011 पूर्वप्रताप थाना किला जनपद बरेली।
9. डी०गा० 1918 साहायम थाना किला जनपद बरेली।

सोशल मीडिया सेल
जनपद बरेली



2. थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा एक अभियुक्त मनीष को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 239 पेटी अग्रेजी शराब (बाजार में कीमत करीब 31,50,000 रुपये) बरामद।



3. थाना अलीगंज #bareillypolice द्वारा थाना भमौरा जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/20 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित / पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण
1. सुल्तान पुत्र अल्लाफ खाँ 2. जफर पुत्र मो0 जान को किया गिरफ्तार ।



बरेली पुलिस




Social Media Cell,
Bareilly Police

 Uppolice.gov.in
 @BareillyPolice

 @BareillyPolice
 @BareillyPolice

4. जनपद सर्विलांस टीम एवं नगर सर्विलांस टीम #bareillypolice द्वारा गुम हुए 111 मोबाईल फोन (कीमत करीब 22 लाख रूपये) की जनपद, गैर जनपद एवं अन्य राज्यों से की गयी बरामदगी।



उत्तर प्रदेश पुलिस, जनपद बरेली।
प्रेस नोट-दिनांक 10-02-2021

जनपद सर्विलांस टीम एवं नगर सर्विलांस टीम #bareillypolice द्वारा गुम हुए 111 मोबाईल फोन (कीमत करीब 22 लाख रूपये) की जनपद, गैर जनपद एवं अन्य राज्यों से की गयी बरामदगी।

जनपद बरेली में खोये/गुम हुए मोबाईल फोनो के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेते हुए श्री रोहित सिंह सजवाण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली द्वारा श्रीम बरामदगी हेतु जनपद सर्विलांस टीम एवं नगर सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री रविन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर व श्री सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक अपराध, बरेली के पर्यवेक्षण में जनपद व नगर सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जनपद, गैर जनपद एवं अन्य राज्यों से कुल 111 मोबाईल फोन (कीमती लगभग 22 लाख रूपये) की बरामदगी की गयी है, जिनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मोबाईल स्वामियों को सुपूर्द किया जा रहा है।


मोबाईल फोन बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- श्री जवेद खान, प्रभारी सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 2- उ0नि0 श्री सचिन कुमार, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 3- हे0का0 मोहित कुमार, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 4- हे0का0 मुकेश बाबू, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 5- हे0का0 विधिन कुमार तिवारी, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 6- का0 विजय सिंह, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 7- का0 सचिन कुमार, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 8- का0 आलोक कुमार, सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 9- का0 सतीश गुप्ता, नगर सर्विलांस शाखा, बरेली।
- 10- का0 महेंद्र कुमार, नगर सर्विलांस शाखा, बरेली।

पुरस्कार घोषणा-
मोबाईल फोन बरामद करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली द्वारा 25,000 रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

सोशल मीडिया सेल
जनपद बरेली।

5. थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा 15,000 /- रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी अशोक कुमार उर्फ बिल्लू पुत्र ओमप्रकाश नि0 जाजूनगर थाना बहेड़ी जिला बरेली को किया गिरफ्तार ।




6. एसओजी व थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 11 अदद चोरी की मोटर साइकिल/स्कूटी बरामद ।



7. थानाध्यक्ष क्योलड़िया जनपद बरेली राजेंद्र सिंह सिरोही द्वारा सिद्धि नाम की 03 वर्षीय बच्ची जिसके पिता ढाई वर्ष से जेल में हैं तथा माता की मृत्यु हो चुकी है का पढ़ाई, कपड़े आदि का खर्च उठाने का लिया गया संकल्प।



8. दिनांक 26.02. 0को वारण्टी रजन्ने पुत्र अहवरन लाल शर्मा निवासी मो 2021 – 0मकरन्दपुर सरकार थाना कोतवाली जनपद बरेली जो वाद संधारा 323504/ 506 04 बरेली जिसकी तारीख पेशी 0एम0जे0न्यायालय सी 0भादवि.03.थी को 2021 माननीय न्यायालय जनपद बरेली में पेश करने के दौरान गिरफ्तार वारण्टी ने खाना खाने की प्रार्थना की । जिस पर पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया जिसमें चौकी प्रभारी सिविल लाईन मकृष्णपाल चौकी 2641 0अनुराधा वर्मा व का 0नि0उ0 सिविल लाईन थाना कोतवाली जनपद बरेली द्वारा दरियादिली दिखाकर जेल जाने से पहले ही गिरफ्तार आरोपी को पेट भर खाना खिलाया । जिसकी भूरिभूरि प्रशंसा - समाजिक लोगों द्वारा की गयी ।/पत्रकारों



पहले कराई पेट पूजा, फिर भेजा जेल : पुलिस का एक चेहरा यह भी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील पुलिस ने बूखे-प्यासे आरोपी को भोजन कराया । कोर्ट के समन पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था । पुलिस के बार बार कहने पर आरोपी ने खाना खाने की फरमाइश की, दरियादिल पुलिस ने पटेल चौक चौकी पर ही जेल जाने से पहले आरोपी को पेट भर खाना खिलाया ।

9. दिनांक 18.2.नवनीत कुमार थाना कैण्ट जनपद बरेली द्वारा 1934 आरक्षी 2021 आईएमए ब्लड बैंक जनपद बरेली में जाकर ब्लड दिया गया ।



जनपद बदायूँ से माह फरवरी में पुलिस अधि०/कर्म०गण द्वारा किये गये सराहनीय कार्य सम्बन्धी सूचना

दिनांक 05-02-2021

- 1- थाना सिविल लाइन बदायूँ पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त के विरुद्ध कुल 2,45,83,534/-रुपये दो) कीमत के सम्पत्ति जब्तीकरण की (करोड पैंतालीस लाख तिरासी हजार पांच सौ चौतीस रुपये कार्रवाई की गयी ।



दिनांक 07-02-2021

- 2- SSP बदायूँ पुलिस के निर्देशन मे थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत दि० 05/02/21 को हुई लूट का सफल अनावरण, लूट की घटना में संलिप्त 03 अभि०गण समेत कुल 04 अभि०गण को गिरफ्तार किया गया, लूटा गया कुण्डल व अवैध असलाह बरामद।



दिनांक 07-02-2021

- 3- जिलाधिकारी बदायूँ के आदेशानुसार थाना अलापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त नजमुल की करीब 19 करोड़ कीमत की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।



दिनांक 12-02-2021

- 4- एसएसपी बदायूँ संकल्प शर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी बिसौली विनय सिंह चौहान के पर्यवेक्षण मे थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी की 02 बाइक समेत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।



दिनांक 15-02-2021

- 5- SSP बदायूं के निर्देशन मे थाना उझानी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के भीतर किया गया चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी किये गये 02 बट्टे समेत कुल 04 अभि0गण गिरफ्तार।



दिनांक 19-02-2021

- 6- "ऑपरेशन डंका" के तहत थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा 7.50 किलोग्राम डोडा छिल्का (अफीम), 03 मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, एक नाजायज चाकू, 26,500/- रुपये समेत कुल 05 अभि0गण को गिरफ्तार किया गया।



दिनांक 19-02-2021

- 7- बदायूं पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य.. एक मंदबुद्धि लडके के अनावश्यक रुप से घूमने की सूचना पर थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा लडके के परिजनों को तलाश कर सकुशल उसकी माता के सुपुर्द किया गया।



दिनांक 20-02-2021

- 8- थाना उझानी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, लूट/चोरी की घटना मे प्रयोग किये जाने वाले सामान व चोरी किये गये 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये समेत कुल 04 अभि0गण गिरफ्तार।



दिनांक 25-02-2021

- 9- कस्बा उझानी में बन्द मकान के ताले तोड़कर एक लाइसेंसी रायफल 315 बोर, जेवरात व नगदी चोरी के सफल अनावरण कर 08 अभि0गण को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गयी।



दिनांक 28-02-2021

- 10- बच्चा खोने के बाद का दर्द, और मिलने के बाद की खुशी जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते.. यह बच्ची साप्ताहिक बाजार में अपने पिता के साथ गई थी, जिससे वह गुम हो गई इस सूचना के आधार पर थाना जरीफनगर बदायूं पुलिस द्वारा बच्ची को ढूढ़कर उसके परिवार के सुपुर्द किया गया।



जनपदीय पुलिस द्वारा किये गये विशेष सराहनीय कार्यों का विवरण जनपद पीलीभीत

(1)



(अभि० जमुना प्रसाद) (अभि० अवधेश) (अभि० देवदत्त) (अभि० यशपाल) (रामकृपाल मिश्रा उर्फ पीलू)

(ईशमाइल)

सादर अवगत कराना है कि थाना दियोरिया कलां पर पंजीकृत मु०अ०सं० 23/21धारा 420/406/411भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जमुना प्रसाद पुत्र किशनलाल उम्र 48 वर्ष निवासी मो० दुर्गा प्रसाद कस्बा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के कब्जे से 11000/- रुपये 2. अवधेश कुमार पुत्र रामस्नेही निवासी ग्राम चकशिवपुरी थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत के कब्जे से 9000/- 3. देवदत्त पुत्र डालचन्द्र निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना क्योलड़िया जनपद बरेली के कब्जे से 9000/- 4. यशपाल पुत्र ठाकुरदास(पीआरडी जबान) निवासी ग्राम मैथी नवदिया थाना क्योलड़िया जनपद बरेली के कब्जे से 9000/- रुपये 5. रामकृपाल मिश्रा पुत्र कृपाल पुत्र पीलू पुत्र चन्द्रसेन मिश्रा निवासी ग्राम रिझोला घासी थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के कब्जे से 9000/- रुपये 6. ईशमाइल पुत्र रफीउद्दीन निवासी ग्राम ऊचा थाना फरीदपुर जनपद के कब्जे से 9000/-रुपये जो दिनांक 29.01.2021 को वादी मुकदमा श्री कृष्ण पुत्र रामलाल निवासी ग्राम वुहिता थाना दियोरिया कलां जिला पीलीभीत के घर से धोखा देकर डबल रुपये करने का लालच देकर 56000/- रुपये ले गये थे । जिसको आज दिनांक 02.02.2021 को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक दियोरिया पीलीभीत के निर्देशन में उ०नि० श्री हरीशंकर यादव, हे०का० ज्ञानचन्द्र, हे०का० शाहिर, हे०का० राजीव पाठक, का० शुभम , का० रुपचन्द, का० गौरव कुमार, का० अकुश कुमार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों को मुखबिर की सूचना पर वादी के साथ पुलिस टीम ने बैनीपुर गाँव के जंगल आम के वाग से जमुना प्रसाद, अवधेश, देवदत्त , यशपाल, रामकृपाल मिश्रा उर्फ पीलू, ईशमाइल मौके से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 56000/- रुपये बरामद हुए जो 100% बरामदगी हुई है । धोखेदेने व रुपये को दोगुना करने के शीशा, पाउडर आदि सामान बरामद हुए है वादी ने अभियुक्त जमुना प्रसाद, अवधेश, यशपाल, ईशमाइल, रामकृपाल मिश्रा उर्फ पीलू, देवदत्त सभी अभियुक्तगणों को पहचाना 16 नोट 2000/- 2000/- रुपये के, 16 नोट 500/-500/- रुपये के, 80 नोट 200/- 200/- रुपये के बरामद हुए है जो वादी द्वारा पहचाने है । अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनसे छलकरके रुपया ऐठ लेते है । सातिर किस्म के आपराधी है जिनका एक संगठित गिरोह है किसी थाने से वांछित हो तो आवश्यक कार्रवाही करे । मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

(2)

थाना दियोरिया कला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/21 धारा 392 भादवि0 की घटना के अनावरण हेतु टीम गठन कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये थे, जिसके परिपेक्ष में दिनांक 08.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक दियोरिया कला के निर्देशन में उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री पवनवीर सिंह व हे0का0 334 ज्ञानचन्द्र, हे0का0 397 शाहिर हुसैन, का0 अंकुश चौधरी, कां0 गौरव कुमार सागर, का0 शुभम कुमार, का0 रूपचन्द्र के माल मुल्जिमान की तलाश में चेकिंग कर रहे थे कि बेनीपुर की तरफ से दो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल नं0 UP25AK0242 यामाहा के पकड़े गये जिनके कब्जे से 01अदद तमन्चा मय कारतूस 315 बोर, चाकू, 3 मोबाइल चोरी के व मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुयी है। जिनमें मु0अ0सं0 25/21 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना दियोरिया कला पर मुकदमें से सम्बंधित है, मोटरसाइकिल थाना बारादरी व 02 मोबाइल थाना बिलसण्डा के मुकदमें से सम्बंधित है। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो मिलकर संगठित गिरोह बनाकर चोरी लूटपाट की घटनाओं को जनपद व गैर जनपद में अन्जाम देते है।



(3)

दिनांक 10.02.2021 को अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपदपीलीभीत - भादवि 392 धारा 2021/82 0सं0अ0पूरनपुर पर पंजीकृत मु के थाना के वांछित अभियुक्त गण 1. मलकीत सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी गोपालपुर थाना पूरनपुर पीलीभीत 2. राजा उर्फ हरविन्दर पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बौठा थाना पूरनपुर पीलीभीत को लूटी गयी धनराशि में से कुल 105500 रुपये, 02 अवैध असलहा व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।



(4)

**थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा अभियुक्तो को चोरी की मोटर साइकिल व अन्य 02
उपकरण सहित किया गिरफ्तार।**

दिनांक 2021.02.14 को थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त गण .1इन्तिजार उर्फ इन्चिया पुत्र अमीर नाजिम नि .2 तिगड़ी कस्बा व थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत 0मो 0इमरान उर्फ भूरा पुत्र यासीन निखेड़ा कस्बा व थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत द्व 0मो 0ारा पुराने मोके 0सा0व मो 0सा0 2021/51 0स0अ0फर्द के आधार पर थाना हाजा पर मु नम्बर मिटाकर प्रयोग में लाने की दाखिल भादवि पंजीकृत किया गया था। 413/414/420 धारामुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त गण .1 इन्तिजार उर्फ इन्चिया पुत्र अमीर नाजिम नितिगड़ी कस्बा 0मो 0 व थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत .2 इमरान उर्फ भूरा पुत्र यासीन निघण्टे के 24 खेड़ा कस्बा व थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत को 0मो 0 यामहा 0सा0अन्दर गिरफ्तार कर उनकी निशादेही पर एक अदद मोCRUXR व एक मोपुरानी 0सा0 हीरो होण्डा ठेलीनुमा व एक कटी पुरानी मोटर मय बाडी व दो अदद छोटी बैटरी व कापर का तार करीब किलोग्राम बरामद किया गया। 02



(5)

थाना दियोरिया कला पुलिस द्वारा

दबिश व सुरागरसी पतारसी के दौरान सखिया पुल के पास से दो अभियुक्त के कब्जे से मय मो 0सा0
0नंUP26AE 2216 होन्डा ड्रीम नियो, लूट के लेपटाँप एचपीबैंक ,आधार कार्ड ,एटीएम कार्ड ,
बरामद दो अदद तमंचा कारतूस ,रुपये -/9500 ,आईडी

दिनांक 03.02.2021 को मु0अ0स0 24/21 धारा 392 भादवि0 के माल व मुल्जिमा की बरामदगी/गिरफ्तारी के परिपेक्ष में थाना दियोरिया कला पुलिस द्वारा दिनांक 17.02.2021 समय 05.00 बजे अभियुक्त 1. फुरकान पुत्र अब्दुल मजीद नि0ग्रा0 भिकारीपुर थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत हाल पता मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को मय एक मो0सा0 नं0 UP26AE 2216 होन्डा ड्रीम नियो जिसका असली नम्बर UP27AB 0377 चोरी सदर थाना शाहजहांपुर है, 01 लेपटाँप एचपी, 01 अवैध असलहा, कारतूस, लूट के 5000/- रुपये, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बरामद हुए है। 2. सबिया उर्फ अजय पुत्र नन्हेलाल नि0ग्रा0 पिपरिया संजरपुर थाना दियोरिया कला जनपद पीलीभीत के कब्जे से मो0सा0नं0 UP26AE 2216 होन्डा ड्रीम नियो, 4500/- रुपये, बैंक आईडी, बरामद हुयी है। जिनके विरुद्ध धारा 392/411/420/467/468/471/413 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की अपराध मे चालान न्यायालय किया गया।



(6)

15-15 हजारा के दो इनामिया वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद पीलीभीत में वाँछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गजरौला पुलिस द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत मु०अ०स० 09/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित इनामिया 15-15 हजार रूपये के वाँछित अभियुक्तगण 1. निजाम 2. इकराम पुत्रगण मो० अहमद नि० शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत को मुखबिर की सूचना पर समय 16.35 बजे गिरफ्तार किया गया ।



जनपदीय पुलिस द्वारा किये गये विशेष सराहनीय कार्यों का विवरण जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक-14.02.2021

थाना काँट पुलिस द्वारा पति-पत्नी में कराया गया सुलह, साथ रहने को हुये तैयार

थाना से ही पत्नी की खुशी-खुशी करायी विदाई

थाना काँट पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 753/20 धारा- 323/506/498ए व ¾ दहेज अधि0 से सम्बन्धित पीडिता सुजाता कुमारी नि0 ग्राम बमरौली थाना काँट जिला शाहजहाँपुर का अपने पति लवकुश से अनवन थी, जिसको आज वैलेन्टाइन डे के दिन थाना काँट पुलिस के समक्ष पति पत्नी ने आपसी सहमति पर खत्म कर साथ रहने का फैसला लिया।

श्री के0बी0 सिंह प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना काँट पर पंजीकृत सम्बन्धित मु0अ0सं0- 753/2020 धारा- 323/506/498ए व ¾ दहेज अधि0 से सम्बन्धित पीडिता सुजाता तथा पीडिता के पति पति लवकुश को थाने पर बुलाकर आपसी विवाद का निस्तारण कराया गया। दोनो पति-पत्नी आपसी सहमति से साथ रहने को तैयार हुए तथा पति लवकुश अपनी पत्नी पीडिता सुजाता कुमारी को विदा कराकर अपने घर ले गया दोनो पति पत्नी ने टीम को धन्यवाद दिया जिसके उपरान्त पीडिता को ससम्मान उसके पति के साथ थाना से रूखसत किया गया।

पुलिस टीम का विवरण -

- 1 प्रभारी निरीक्षक के0बी0 सिंह
2. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह
3. म0का0 स्वाति सिंह



पुलिस ने समझाया तो एक हुए दंपति

शाहजहाँपुर। वैलेन्टाइन-डे पर परिवार को टूटने से पुलिस ने बचाया। पति-पत्नी के झगड़े के बाद पुलिस ने दोनों को साथ बैठाकर उनमें समझौता करा दिया। गिल्ल-शिकवे भुलाकर दोनों साथ-साथ अपने घर चले गए।

थाना काँट में पीडिता सुजाता ने अपने पति पर मारपीट, धमकाने और धरलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। काँट थाने के प्रभारी निरीक्षक केबी सिंह और उनकी टीम ने खबरार को पति लवकुश और पत्नी सुजाता को थाने बुलाया और

वैलेन्टाइन-डे पर पुलिस की मध्यस्थता से टूटने से बचा एक दंपत्य जीवन

उनकी बात सुनी। दोनों के बीच मतभेदों को दूर किया। इसके बाद दोनों पति-पत्नी साथ रहने के लिए तैयार हो गए। थाने से दोनों खुशी-खुशी गए और फिर विवाद न करने का वादा किया। प्रभारी निरीक्षक केबी सिंह ने बताया कि दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे। समझाने पर दोनों मान गए। संवाद



दिनांक-21.02.2021

थाना काँट पुलिस द्वारा वृद्धा को दिलवाये गये उसके गहने, खुशी में आँखे हुई नम । पुलिस दी दुआयें

दिनांक 21.02.2021 को थाना काँट पर वृद्ध महिला फहीमन पत्नी मो0 हनीफ नि0 ग्राम सेरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर ने थाना उपस्थित आकर अपने दामाद शेर मोहम्मद पुत्र मुनव्वर अली निवासी ग्राम भंडेरी थाना काँट जिला शाहजहाँपुर द्वारा सोने की दो चूड़ी व पायजैव रख लेने तथा मांगने पर गाली गलौच कर धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी व फूट फूट कर रोने लगी।

जिस पर थाना काँट पुलिस द्वारा वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए शांत कराया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए वृद्ध महिला के दामाद शेर मोहम्मद उपरोक्त को थाना पर बुलाया तथा वार्ता कर आवेदिका के जेवर दो सोने के कंगन व एक जोड़ी पाजैव विपक्षी शेर मोहम्मद से आवेदिका को दिलाये गये । वृद्ध महिला द्वारा अपने जेवर पहचान कर प्राप्त किये गये तथा पुलिस टीम को ढेरों आशीर्वाद व धन्यवाद किया गया । इसके उपरान्त आवेदिका फहीमन उपरोक्त को उसके जेवर देकर थाने से सकुशल ससम्मान विदा किया गया ।

पुलिस टीम का विवरण –

- 1-उ0नि0 राकेश कुमार सिंह
- 2-का0 1952 सुशान्त चौधरी
- 3-म0आ0 379 सुजाता चौधरी



दामाद ने चुरा लिए सास के जेवर, पुलिस ने दिलाए

संवाद न्यूज एजेंसी

काँट थाने पहुंची बुजुर्ग महिला ने रो-रोकर दर्ज कराई शिकायत

शाहजहाँपुर। अपने दामाद पर आभूषण चोरी का आरोप लगाते हुए एक महिला रविवार को काँट थाने पर पहुंचकर फूट-फूटकर रोने लगी। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेकर आरोपी दामाद को थाने बुलवाया और महिला के आभूषण वापस कराए।

सेहरामऊ दक्षिणी गांव की फहीमन पत्नी मोहम्मद हनीफ ने अपने दामाद पर सोने की चूड़ी, पायजैव रखने और गालीगलौच करने का आरोप लगाया है। थाना काँट के उप निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग महिला फहीमन रविवार के थाने पर आकर रोने लगीं। पूछने पर बताया कि दामाद

शेर मोहम्मद पुत्र मुनव्वर अली निवासी ग्राम भंडेरी थाना काँट ने उनसे सोने की दो चूड़ी व पायजैव लेकर अपने पास रख लिए हैं। मांगने पर गालीगलौच करता है। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर तत्काल आरोपी दामाद को थाने पर बुलाया गया। उससे जेवर लेकर महिला को दे दिए गए हैं।

जेवर मिलने पर बुजुर्ग महिला ने पुलिस टीम का आभार जताया। इस मौके पर कांस्टेबल सुशांत चौधरी, महिला आरक्षी सुजाता चौधरी आदि मौजूद रहे।

दामाद से महिला को जेवर दिलवाए

शाहजहाँपुर | हिन्दुस्तान संवाद

जेवर मांगने पर दामाद ने सास के साथ गाली-गलौच की और धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को थाने बुला लिया। बुजुर्ग महिला के दामाद से जेवर दिलवाए। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को धन्यवाद दिया।

रविवार को सेहरामऊ दक्षिणी की रहने वाली बुजुर्ग महिला फहीमन काँट

थाने पहुंची। बताया कि दामाद शेर मोहम्मद निवासी ग्राम भंडेरी थाना काँट ने सोने की दो चूड़ी व पायजैव रख ली। मांगने पर धमकी दी। महिला थाने में ही फूट-फूटकर रोने लगी। दुरोगा राकेश सिंह, कांस्टेबल सुशांत चौधरी, महिला कांस्टेबल सुजाता चौधरी ने उन्हें शांत कराया। थाने बुलाए गए शेर मोहम्मद से पुलिस ने महिला के दो सोने के कंगन व एक जोड़ी पाजैव दिलवाई।

दिनांक-21.02.2021

थाना कोतवाली पुलिस ने खोयी हुई मासूम बच्ची को परिजनों से मिलवाया।

दिनांक 21.02.2021 की समय 14.00 बजे चौक कोतवाली बाजार में एक बच्ची उम्र करीब 04 वर्ष बाजार खो गयी है तथा रोती हुई अकेली बाजार में घूम रही है।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा तत्काल सूचना पर कार्यवाही करते हुए महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त म0का0 1714 मीरा यादव व थाना कार्यालय से का0 1959 सोनू कुमार को चौक बाजार पहुँचकर खोयी हुई बच्ची को थाना कोतवाली पर लेकर आये। महिला पुलिसकर्मी द्वारा बच्ची को प्यार से चॉकलेट दी तथा शांत कराया तदोपरांत बच्ची से नाम पता पूछा गया तो बच्ची ने अपना नाम रिया कश्यप बताया तथा बच्ची से परिजनो के विषय में जानकारी की गयी बच्ची नहीं बता पाई व बच्ची को म0का0 1714 मीरा यादव के साथ महिला हेल्प डेस्क पर बिठाया।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा तत्काल पुलिस टीम बनाकर सम्पूर्ण बाजार/ संभावित जगहों पर परिजनों को तलाशने हेतु पुलिस टीमो को भेजा।

इसी क्रम में पुलिस टीम के अथक प्रयास के उपरांत बच्ची के परिजनों को ढूँढकर बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया। बच्ची की माँ पूजा कश्यप पत्नी स्व0 राकेश कुमार कश्यप निवासी मो0 महमन्दगढी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर से बताया कि वह बाजार में सामान लेने के लिये आयी थी इसी दौरान मेरी बच्ची रिया कश्यप बाजार मे कही खो गयी बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिल रही थी।

बच्ची को देखते ही उसके परिजनों की अत्यन्त खुश हुए तथा पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। थाना कोतवाली पुलिस की सक्रियता व तत्परता से मासूम बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाने पर जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है।

खोई बच्ची को परिजनों से मिलाया

शाहजहाँपुर | हिन्दुस्तान संवाद

चौक कोतवाली पुलिस ने सरहलौन कार्य किया। बाजार में खोई चार साल की बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाया। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद अर्पण किया। इधर, जनता ने भी पुलिस के इस कार्य को प्रशंसा की। परिवार के सदस्य इन्फेक्ट प्रवेश सिंह को सूचना मिली कि बाजार में चार साल की बच्ची अकेली रोती हुई घूम रही है। इन्फेक्टर के आदेश पर महिला हेल्प डेस्क की सिपाही मीरा यादव व सिपाही सोनू कुमार बाजार में घूम रही बच्ची को लेकर आये। बच्ची को दुलार किया। चॉकलेट दी, जिससे बच्ची शांत हो गई। बच्ची ने अपना नाम रिया कश्यप बताया। परिजनों की जानकारी बच्ची नहीं बता पाई। इधर, इन्फेक्टर के निर्देश



चौक कोतवाली पुलिस ने बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाया। • हिन्दुस्तान

पुलिस ने मासूम को परिजन से मिलवाया

शाहजहाँपुर। बाजार में अपने परिजन से बिछड़कर रोती घूम रही बच्ची को चौक कोतवाली पुलिस ने उसके मां-बाप को सौंप दिया। बच्ची की उम्र करीब चार वर्ष हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को सूचना मिली की एक छोटी बच्ची बाजार में रोती घूम रही है। जिस पर महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला कांस्टेबल मीरा यादव व थाना कार्यालय से कांस्टेबल सोनू को चौक बाजार पहुंचे और बच्ची को लेकर थाना कोतवाली पर पहुंच गए। इसके बाद बच्ची के परिजनों की तलाश की गई। जिस पर मोहल्ला महमंद गढ़ी निवासी पूजा कश्यप की बच्ची रिया कश्यप के लापता होने की जानकारी हुई। पूजा के पति राकेश कुमार का निधन हो चुका है। उन्होंने बच्ची के मिलने पर पुलिस का धन्यवाद दिया। **संवाद**



मां से बिछड़ा बच्चा को पुलिस ने मिलाया

जांस, शाहजहाँपुर : चौक कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला महमंदगढ़ी निवासी पूजा कश्यप रविवार को अपनी चार साल की बेटी रिया के साथ बाजार में खरीदारी करने गई थी। जहां रिया मां से बिछड़ गई। पुलिस ने बच्ची को कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क पर तैनात कांस्टेबल मीरा यादव के सुपुर्द कर दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह ने बताया कि बच्ची को मां के सुपुर्द कर दिया गया।

दिनांक-25.02.2021

थाना पुवायां पुलिस ने टूटे हुए परिवार को बिखरने से बचाया।

थाना पुवायाँ क्षेत्र के ग्राम सदापुर मे श्री सुरजीत कुमार पुत्र स्व० सीताराम निवासी ग्राम सदापुर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 41 वर्ष की शादी करीब 20 वर्ष पूर्व श्रीमती गायत्री देवी उम्र 35 वर्ष से हुई थी तथा इनके 03 बच्चे जिनकी उम्र करीब 17 वर्ष दूसरी 15 वर्ष तीसरी 3 वर्ष है। लगभग 07 माह से दोनो पति आपसी मन मुटाव के चलते अलग अलग रह रहे थे जिसमे सुरजीत सिंह अपनी पुत्री बंदना व संजना के साथ व श्रीमती गायत्री देवी अपने पुत्र सुमित के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे।

दिनांक 25.02.21 को प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ व महिला डैस्क पुवायां पुलिस द्वारा अलग-अलग रहने की जिद करके बैठे दोनो पक्षों को थाना पर बुलाया तथा दोनों पति पत्नी को काफी समझाया जिसके फलस्वरूप दोनो मे एक साथ रहने के लिये सहमत हो गये तथा अलग अलग रह रहे पति-पत्नी व बच्चो को पुनः एक साथ कर एक परिवार के रूप मे थाना से सकुशल खाना किया गया। पुलिस के अथक प्रयास से काफी दिनों से अलग रह रहे पति – पत्नी का दाम्पत्य जीवन मधुरता की परीधि मे आया तथा दोनों पति पत्नी द्वारा पुलिस को धन्यवाद दिया तथा एक साथ होकर थाने से विदा हुए।

पुलिस टीम

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री कुँवर बहादुर सिंह थाना पुवायां शाहजहाँपुर।
- 2-उ०नि० श्री राजवीर थाना पुवायां शाहजहाँपुर।
- 3-म०आ० पिकी थाना पुवायां शाहजहाँपुर।



दंपती में था मनमुटाव पुलिस ने कराया समझौता

संवाद न्यूज एजेंसी

पुवायां। सात माह से मामूली विवाद के चलते अलग रह रहे दंपती को पुवायां के कोतवाली प्रभारी और महिला हेल्प डेस्क की टीम ने समझाकर विवाद खत्म करा दिया। इसके बाद दंपती घर चले गए।

गांव सदापुर निवासी सुरजीत कुमार की शादी गायत्री देवी से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों के तीन बच्चे भी हैं। बड़ी पुत्री 17 वर्ष की है। सात माह पूर्व दंपती में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद गायत्री देवी अपनी बहन के घर पुवायां कसबे में रह रही थी। सुरजीत के साथ उनकी दो पुत्रियां और गायत्री देवी पुत्र के साथ रहती थी। सुरजीत ने मामले

महिला हेल्प डेस्क ने
निपटारा विवाद

की सूचना पुलिस को दी थी। बृहस्पतिवार को सुरजीत और गायत्री देवी को कोतवाली में बुलाया गया। दोनों के साथ उनके तीन बच्चे भी कोतवाली पहुंचे। कोतवाली प्रभारी कुँवर बहादुर सिंह और महिला हेल्प डेस्क टीम की सदस्य सिपाही पिकी ने दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्हें समझाया और विवाद समाप्त कर साथ रहने को कहा। गिले शिकवे के बाद दोनों पक्ष पुलिस की बात मानकर साथ रहने को राजी हो गए।

इसके बाद दंपती को घर भेज दिया गया। सुलह से उनके बच्चे भी काफी खुश हैं।

पुलिस ने बिखरने से बचाया परिवार

पुवायां : क्षेत्र के ग्राम सदापुर निवासी सुरजीत कुमार की शादी करीब 20 साल पहले गायत्री देवी से हुई थी। इनके तीन बच्चे हैं। लगभग सात माह से दंपती में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। जिस वजह से दोनों लोग अलग-अलग रहने लगे थे। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक कुँवर बहादुर सिंह व महिला डेस्क के सहयोग से विवाद को सुलझा दिया गया है। संस